



सां/No. : 5-1(791)/2021-PD

दिनांक/Dated: 20.10.2021

प्रेषक / From : संयुक्त सचिव (प्रशासन)  
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To : सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान  
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

क्रम सं. Sl. No.	कार्यालय ज्ञापन सं/ . Office Memorandum No.	विषय/ Subject
1.	भारत सरकार, कर्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कर्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.08.2021 का कार्यालय ज्ञापन सं० 20011/2/2019-स्था.(घ)  Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training Office Memorandum No. 20011/2/2019-Estt. (D) dated 13.08.2021	के. मेघचंद्र सिंह और अन्य बनाम निनगम सीरो एवं अन्य की वर्ष 2019 की सिविल अपील सं. 8833-8835 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय - सीधी भर्ती से आने वाले एवं पदोन्नति पाने वालों की वरिष्ठता के संबंध में संशोधित निर्देश एवं उनकी परस्पर वरिष्ठता के संबंध में।  Judgement of the Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 8833-8835 of 2019 of K. Meghachandra Singh & Ors. Vs Ningam Siro & Ors- revised instructions relating to seniority of direct recruits and promotees and inter-se seniority thereof – reg

भवदीय/Yours faithfully

  
20/10/21

संतोष कुमार/Santosh Kumar

अनु.अधि.(नीति प्रभाग)/Section Officer (PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

- आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/  
Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.
- कार्यालय प्रति/Office copy.

सं. 20011/2/2019-स्था.(घ)  
भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक: 13 अगस्त, 2021

कार्यालय जापन

विषय: के. मेघचंद्र सिंह और अन्य बनाम निनगम सीरो एवं अन्य की वर्ष 2019 की सिविल अपील सं. 8833-8835 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय - सीधी भर्ती से आने वाले एवं पदोन्नति पाने वालों की वरिष्ठता के संबंध में संशोधित निर्देश एवं उनकी परस्पर वरिष्ठता के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवाओं/पदों में सीधे भर्ती होने वाले एवं पदोन्नति पाने वाले कार्मिकों की परस्पर वरिष्ठता तय करने संबंधी मूल सिद्धांत, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 29.12.1959 के का.जा. सं. 9/11/55-आरपीएस में निर्धारित किए गए थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उपबंधित था कि, सीधे भर्ती होने वालों एवं पदोन्नति पाने वालों की परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण उनके मध्य रिक्त पदों के रोटेशन के अनुसार होगा, जो क्रमशः सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हेतु भर्ती नियमों में उपलब्ध रिक्त पदों के कोटा पर आधारित होगा।

2. किसी रिक्ति वर्ष के रिक्त पदों, जो आगामी वर्ष में सीधी भर्ती से भरे जाने हैं, के अग्रनयन (कैरी फॉरवर्ड) को डीओपीटी के दिनांक 07.02.1986 के का.जा. सं. 35014/2/80-स्था.(घ) में निहित संशोधित अनुदेशों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था, जिसके अनुसार वरिष्ठता निर्धारित करने हेतु, कोटा का रोटेशन, केवल उपलब्ध सीधी भर्ती वालों एवं पदोन्नति वालों की संख्या तक सीमित होगा। सामान्य अभ्यास के अनुसार, सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या निर्धारित करने के लिए, सीधी भर्ती/पदोन्नति कोटा के रिक्त पदों को अग्रणीत किया जाएगा एवं अगले वर्ष (और आगामी वर्षों, जहां आवश्यक हो) की संबंधित सीधी भर्ती/पदोन्नति कोटा रिक्तियों में जोड़ा जाएगा। सीधी भर्ती वालों और पदोन्नति वालों के मध्य परस्पर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए ऐसा, सीधी भर्ती वालों और पदोन्नति वालों हेतु रिक्तियों की संख्या की सीमा तक, उस वर्ष हेतु निर्धारित कोटा के अनुसार, कोटा रोटेशन के अनुसार किया जाएगा तथा पिछले वर्ष की अग्रणीत रिक्तियों के प्रति चयनित अतिरिक्त सीधी भर्ती वालों/पदोन्नति वालों को वरिष्ठता सूची में अंतिम पदोन्नत/सीधी भर्ती वाले, जैसा भी मामला हो, के पूर्णरूपेण नीचे रखा जाएगा। डीओपीटी द्वारा दिनांक 03.07.1986 के का.जा. सं. 22011/7/86-स्था(घ) के माध्यम से वरिष्ठता के विषय पर सभी मौजूदा निर्देश समेकित किए गए थे।

3. तदनंतर, दिनांक 03.03.2008 के का.जा.सं. 20011/1/2006-स्था.(घ) के माध्यम से दिनांक 07.02.1986/03.07.1986 के का.जा. में लिखित शब्द 'उपलब्ध' के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया, जहां यह स्पष्ट किया गया कि सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों ही मामलों में, रोटेशन एवं परस्पर वरिष्ठता निर्धारण हेतु

प्रदीप कुमार

उपलब्धता वर्ष के रूप में, नियुक्ति के वास्तविक वर्ष की गणना की जाएगी। हालांकि, इसे सिविल अपील सं. 7514-7515/2005 में एन.आर. परमार बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। उक्त मामले में दिनांक 27.11.2012 के अपने निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परस्पर वरिष्ठता निर्धारण हेतु, उपलब्ध सीधी भर्ती वाले व पदोन्नति वाले का अर्थ उन सीधी भर्ती वालों व पदोन्नतों से होगा जो किसी विशेष रिक्ति वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त किए गए हों, यहां भर्ती वर्ष वह वर्ष होगा, जिसमें दोनों प्रकार (सीधी भर्ती या पदोन्नति) में से कोई भी भर्ती प्रक्रिया, किसी विशेष रिक्ति वर्ष हेतु प्रारंभ की गई हो अर्थात् किसी रिक्ति वर्ष के प्रति भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत का अर्थ उस दिनांक से होगा जब रिक्तियां भरने हेतु सीधी भर्ती के मामले में, भर्ती एजेंसी को मांग भेजी गई हो अथवा वह दिनांक जिस पर पदोन्नति हेतु निर्धारित रिक्तियों को भरने हेतु, डीपीसी आयोजित करने संबंधी, सब प्रकार से पूर्ण कोई प्रस्ताव यूपीएससी/अध्यक्ष-डीपीसी को भेजा गया हो।

4. किसी ग्रेड/पद में सीधी भर्ती वाले और पदोन्नति हुए कर्मिकों के बीच परस्पर वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित एन.आर. परमार मामले में निर्धारित किए गए कानून की भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा के. मेघचंद्र सिंह और अन्य बनाम निनगम सीरो एवं अन्य मामले में सिविल अपील सं. 2019 की 8833-8835 [एसएलपी (सी) सं. 2019 की 19565-19567 से उत्पन्न हुई] में समीक्षा की गई थी। के. मेघचंद्र सिंह और अन्य बनाम निनगम सीरो और अन्य के सीए सं. 8833-35/2019 में अपने दिनांक 19.11.2019 के आदेश में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने एन.आर. परमार मामले में न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया है।

5. दिनांक 19.11.2019 के आदेश के पैरा 40 में माननीय न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय दिया कि "इस मुद्दे पर कानून को जे. सी. पटनायक (सुपरा) में सही रूप में घोषित किया गया है। परिणाम स्वरूप, हम एन.आर. परमार (सुपरा) में सुझाए गए परस्पर वरिष्ठता के मूल्यांकन की शर्तों को नामंजूर करते हैं। तदनुसार, एन.आर. परमार में दिए निर्णय को रद्द किया जाता है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह निर्णय एन.आर. परमार पर पहले से आधारित परस्पर-वरिष्ठता को प्रभावित नहीं करेगा और इसका संरक्षण किया गया है। यह निर्णय, ऐसे मामले, जहां वरिष्ठता को संगत नियमों के अधीन रिक्ति की तारीख/विज्ञापन की तारीख से निर्धारित किया जाना है, के सिवाय; उत्तरव्यापी प्रभाव से लागू होगा।" इसके अलावा, माननीय न्यायालय ने पैरा 38 में, निम्नलिखित निर्णय दिया है:

"38. जब हम एन.आर. परमार (सुपरा) में निर्णय को सावधानीपूर्वक पढ़ते हैं तो हमें यह स्पष्ट होता है कि संदर्भित कार्यालय जापनों (दिनांक 07.02.1986 और 03.07.1986) को इस निर्णय में समुचित रूप से समझा नहीं गया था। अंतिम निष्कर्ष के विपरीत, उक्त दोनों कार्यालय जापनों ने यह स्पष्ट किया था कि सीधी भर्ती वाले कर्मिकों की वरिष्ठता केवल नियुक्ति की तारीख से घोषित की जाए ना कि भर्ती प्रक्रिया के आरंभ होने की तारीख से। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से, यह निर्णय कार्यालय जापन में दिए गए उदाहरण का संदर्भ देते समय वास्तव में, उक्त उदाहरण के प्रभाव की अनदेखी करता है। हमारे अनुसार, एन.आर. परमार (सुपरा) में उद्धरित उदाहरण स्वयं यह स्पष्ट करते हैं कि ऐसी रिक्तियों को जो किसी विशेष वर्ष (1986) में सीधी भर्ती के लिए नियत की गई थीं, जिन्हें अगले वर्ष (1987)

पुदीप कुमार



में भरा गया था, केवल आगामी वर्ष की वरिष्ठता सूची में ही विचारण में लिया जा सकता है ना कि 1986 की वरिष्ठता सूची में। वास्तव में, इसे दिनांक 07.02.1986 और 03.07.1986 के इन दो कार्यालय जापनों में दर्शाया गया था और इसीलिए सरकार ने पूर्व के इन दोनों कार्यालय जापनों के स्पष्टीकरण द्वारा दिनांक 03.03.2008 का अगला कार्यालय जापन जारी किया था।”

6. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा के. मेघचंद्र सिंह मामले में दिनांक 19.11.2019 के अपने आदेश में यथा निर्धारित सीधी भर्ती और पदोन्नत हुए कार्मिकों की परस्पर वरिष्ठता के निर्धारण की विधि कार्य विभाग के परामर्श से सावधानीपूर्वक जांच की गई तथा निम्नलिखित सिद्धांत सामने आए हैं:-

- (i). अधिसूचित भर्ती नियमों/सेवा नियमों में सीधी भर्ती और पदोन्नति को आवंटित रिक्तियों की प्रतिशतता पर आधारित 'कोटा के रोटेशन' को एक भर्ती वर्ष में संबंधित कोटा द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के निर्धारण हेतु संचालित करना जारी रखेंगे। 'भर्ती वर्ष' शब्द का आशय होगा ऐसा वर्ष जिसमें रिक्ति उत्पन्न होती है। तथापि, सीधी भर्ती और पदोन्नत हुए कार्मिक, जो संबंधित कोटा की रिक्तियों के समक्ष नियुक्त होते हैं; के बीच परस्पर वरिष्ठता पर उस वर्ष के संदर्भ में विचार किया जाएगा जिसमें वे नियुक्त हुए हैं अर्थात् वह वर्ष जिसमें वे संवर्ग में आते हैं या जिसमें औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी किया जाता है।
- (ii). 'भर्ती' एवं 'नियुक्ति' शब्दों को तालमेल के साथ पढ़ा जाना है तथा भर्ती हुए कार्मिकों की वरिष्ठता का निर्धारण उनकी वास्तविक नियुक्ति पर निर्भर करेगा ना कि भर्ती प्रक्रिया के आरंभ पर। इस प्रकार यह परिणाम निकलता है कि अब इसके पश्चात से सीधी भर्ती और पदोन्नत हुए कार्मिकों की वरिष्ठता, रिक्ति/रिक्ति वर्ष से अलग की जाती है।
- (iii). वरिष्ठता के निर्धारण की वैधता का स्रोत किसी रिक्ति के प्रति किसी व्यक्ति के कार्यभार ग्रहण करने होने की तारीख के संदर्भ में होगा, इस तथ्य के बावजूद कि यह पिछले वर्ष (वर्षों) में उत्पन्न हुई हो और किसी भी कोटा की अग्रेषित (कैरी फारवर्ड) रिक्ति नहीं है।
- (iv). यदि सीधी भर्ती (अथवा पदोन्नत व्यक्तियों) की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती है, वरिष्ठता का निर्धारण करने के उद्देश्य से "कोटा का रोटेशन, किसी विशिष्ट वर्ष में कार्यभार ग्रहण करने पर उपलब्ध सीधी भर्ती तथा पदोन्नत व्यक्तियों को उनका स्लॉट सौंपने के बाद बंद हो जाएगा।
- (v). रोटेशन के उद्देश्य और वरिष्ठता के लिए सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नत व्यक्तियों दोनों के मामले में "उपलब्ध" शब्द परिणामों / चयन की घोषणा और यथा निर्धारित पूर्व नियुक्ति औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद नियुक्ति का वास्तविक वर्ष होगा।
- (vi). इस प्रकार, ऐसे नियुक्त व्यक्ति, जो संबंधित भर्ती वर्ष में कार्यभार ग्रहण करते हैं और जो बाद के वर्ष (वर्षों) में कार्यभार ग्रहण करते हैं, अपनी नियुक्ति के संबंधित वर्षों की वरिष्ठता सूची में शामिल होंगे। उस सीमा तक सीधी भर्ती और पदोन्नत व्यक्तियों के लिए निर्धारित कोटा के प्रश्न

प्रदीप कुमार

में जाने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, ताकि उस वर्ष का पता लगाया जा सके, जिसमें वह रिक्ति हुई थी, जिसके प्रति भर्ती की गई थी।

7. उपर्युक्त के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि प्रोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती के बीच परस्पर वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित अनुदेशों को निम्नानुसार संशोधित किया जाए:

- (i) एन. आर. परमार मामले में दिनांक 27-11-2012 के आदेश के अनुसरण में जारी दिनांक 04-03-2014 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20011/1/2012-स्था(घ), को 19-11-2019 से नॉन-एस्ट/वापस माना जाता है।
- (ii) चूंकि, दिनांक 19-11-2019 परस्पर का आदेश संभावित है, सीधी भर्ती किए गए और प्रोन्नत व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता के मामलों को, जिन पर दिनांक 04-03-2014 के का.जा. संख्या 20011/1/2012-स्था(घ), के संदर्भ में पहले से ही निर्णय लिया जा चुका था, बाधित नहीं किया जाएगा अर्थात् पुराने मामले पुनः नहीं खोलने हैं।
- (iii) दिनांक 27-11-2012 और दिनांक 18-11-2019 के मध्य की अवधि के दौरान नियुक्त/ कार्यभार ग्रहण करने वाले सीधी भर्ती और पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में और दिनांक 18-11-2019 तक परस्पर वरिष्ठता को अंतिम रूप नहीं दिए जा सकने वाले मामले दिनांक 04-03-2014 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित का.जा. दिनांक 07-02-1986/03-07-1986 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे, जब तक कि किसी न्यायाधिकरण या अदालत द्वारा वरिष्ठता के निर्धारण का एक अलग नियमन/तरीका तय नहीं किया गया हो।
- (iv) उन मामलों के लिए, जहां भर्ती प्रक्रिया दिनांक 19-11-2019 से पहले प्रशासनिक विभाग/संवर्ग प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई है और जहां कुछ नियुक्तियां 19-11-2019 से पहले की गई हैं और शेष 19-11-2019 को या उसके बाद की गई हैं, सीधी भर्ती और पदोन्नत व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता भी ऐसे नियुक्त व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 04-03-2014 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित दिनांक 07-02-1986/03-07-1986 के कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों द्वारा शासित होगी।
- (v) दिनांक 19-11-2019 को या उसके बाद शुरू की गई भर्तियों और भविष्य की भर्तियों के लिए, उन मामलों के अलावा, जहां भर्ती प्रक्रिया दिनांक 19-11-2019 से पहले प्रशासनिक विभाग/संवर्ग प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई है, लेकिन जहां सभी नियुक्तियां भर्ती प्रक्रिया आरंभ होने के बाद दिनांक 19-11-2019 अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की तिथि को या उसके बाद की जा सकीं। सीधी भर्तियों और पदोन्नत व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता, निम्नलिखित तरीके से निर्धारित की जाएगी।
- (क) अधिसूचित भर्ती नियमों/सेवा नियमों में सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए आवंटित रिक्तियों के प्रतिशत के आधार पर कोटे का रोटेशन किसी भर्ती वर्ष में संबंधित कोटा द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के निर्धारण के लिए जारी रहेगा।


प्रदीप कुमार

- (ख) सीधी भर्ती और पदोन्नत व्यक्तियों के लिए बीच परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण, जो सम्बंधित कोटे की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किए जाते हैं उनकी उस वर्ष के संदर्भ में गणना जाएगी, जिसमें उनकी नियुक्ति हुई है अर्थात् जिस वर्ष में वे संवर्ग में आए हैं या उनकी औपचारिक नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। यदि, जिस मामले में भर्ती वर्ष व नियुक्ति वर्ष समान हैं नियुक्त व्यक्तियों को उस वर्ष की वरिष्ठता दी जाएगी।
- (ग) जहां पदोन्नति या सीधी भर्ती मामले में नियुक्ति का वर्ष अगले वर्ष या भर्ती वर्ष के बाद का कोई वर्ष है ऐसे पदोन्नत व्यक्तियों या सीधी भर्ती की वरिष्ठता का निर्धारण उनके उस पद पर वास्तविक कार्यभार/नियुक्ति ग्रहण करने के वर्ष के संदर्भ में किया जाएगा, क्योंकि वे उस भर्ती वर्ष में कार्यभार ग्रहण करने में सक्षम नहीं थे जिस वर्ष में रिक्ति हुई थी। इस प्रकार, वे उस वर्ष की वरिष्ठता प्राप्त करेंगे, जिस वर्ष में उन्होंने वास्तविक कार्यभार ग्रहण किया है अर्थात् जिस वर्ष में औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी हुआ है और वे सेवा/संवर्ग में रहे हैं तथा उन्हें उससे पहले के किसी वर्ष की वरिष्ठता नहीं दी जाएगी (यथा रिक्ति/पैनल का वर्ष या वह वर्ष जिसमें भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई)।
- (घ) कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7.2.1986/3.7.1986 के संदर्भ में परस्पर वरिष्ठता के निर्धारण के उद्देश्य से पदोन्नत व सीधी भर्ती से आए व्यक्तियों के बीच रोटेशन किसी विशेष वर्ष में उपलब्ध सीधी भर्ती और पदोन्नति से आए व्यक्तियों की सीमा तक ही किया जाएगा। कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7.2.1986/3.7.1986, में परस्पर वरिष्ठता निर्धारण में कोटे के रोटेशन के उद्देश्य से 'उपलब्ध सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति' पर आए व्यक्ति शब्द का अर्थ होगा उस वर्ष के दौरान परिणाम/चयन की घोषणा और नियुक्ति पूर्व यथानिर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद नियुक्त सीधी भर्ती या पदोन्नति से आए व्यक्तियों की वास्तविक संख्या।
- (ङ) उपर्युक्त (घ) के अनुसार, यदि किसी विशेष वर्ष में पर्याप्त संख्या में सीधी भर्ती (या पदोन्नत व्यक्ति) उपलब्ध नहीं होते हैं तो परस्पर वरिष्ठता निर्धारित करने के उद्देश्य से रोटेशन का क्रम उपलब्ध सीधी भर्ती और पदोन्नत व्यक्तियों के उस वर्ष में उनकी नियुक्ति/कार्यभार ग्रहण करने पर उनके स्लॉट सौंपे जाने के बाद बंद हो जाएगा।
- (च) यदि किसी विशेष वर्ष में कोई सीधी नियुक्ति उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध पदोन्नतों को पदोन्नति के लिए अनुमोदित पैनल में उनकी पदस्थिति के अनुसार एक साथ समूह में रखा जाएगा। उसी प्रकार यदि उस वर्ष में कोई पदोन्नत व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो उपलब्ध सीधे नियुक्त व्यक्ति को चयन प्रक्रिया में प्राप्त उनके स्थान के अनुसार एक साथ समूहित कर दिया जाएगा।
- (छ) ऐसे मामले में जहां सीधी भर्ती या पदोन्नत व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, पदोन्नति के लिए अनुमोदित दो और चयन/पैनल से संबंधित हो, एक ही वर्ष में कार्यभार ग्रहण करते हैं तो पहले के चयन/पैनल के परिणामस्वरूप नियुक्त हुए/कार्यभार ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को बाद के चयन/पैनल में नियुक्त/कार्यभार ग्रहण करने वालों की वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता दी जाएगी।
- (ज) कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7.2.1986 और 3.7.1986 में दिए गए अनुदेश, उपर्युक्त पैराग्राफों में दर्शाई गई सीमा तक संशोधित हैं।

प्रदीप कुमार



8. ये प्रावधान 19.11.2019 के बाद से प्रभावी होंगे।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इन अनुदेशों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं।



(प्रदीप कुमार)


अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/उच्चतम न्यायालय/राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/संघ लोक सेवा आयोग/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/सी&एजी/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान बेंच), नई दिल्ली।
2. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ अधिकारी।
3. सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग।
4. सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग।
5. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद् (जे.सी.एम.) 13 सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
6. माननीय राज्य मंत्री (कार्मिक) के निजी सचिव को सूचनार्थ।
7. राष्ट्रीय परिषद् के सभी स्टाफ साइड सदस्य
8. एनआईसी [(डीओपीटी) की वेबसाइट पर इस कार्यालय ज्ञापन को अपलोड करने के लिए (वरिष्ठता)]



(प्रदीप कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

No. 20011/2/2019-Estt. (D)  
Government of India  
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions  
Department of Personnel & Training  
\*\*\*\*\*

North Block, New Delhi  
Dated: 13<sup>th</sup> August, 2021.

**OFFICE MEMORANDUM**

**Subject: Judgement of the Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 8833-8835 of 2019 of K. Meghachandra Singh & Ors. Vs Ningam Siro & Ors – revised instructions relating to seniority of direct recruits and promotees and inter-se seniority thereof – reg.**

The undersigned is directed to say that the fundamental principles of determining *inter se* seniority of direct recruits and promotees in Central Civil Services/posts were laid down in the Department of Personnel & Training (DOPT) O.M. No. 9/11/55-RPS dated 29.12.1959, which inter alia provided that, the *inter se* seniority of direct recruits and promotees shall be determined according to the rotation of vacancies between direct recruits and promotees, which shall be based on the quotas of vacancies, provided in the Recruitment Rules for direct recruitment and promotion respectively.

2. The carry forward of unfilled slots of a vacancy year, to be filled up by direct recruits of later years, was dispensed with through modified instructions contained in DoPT O.M. No. 35014/2/80-Estt.(D) dated 7.2.1986 which provides that rotation of quotas for purpose of determining seniority would take place only to the extent of available direct recruits and the promotees. The unfilled direct recruitment/promotion quota vacancies would be carried forward and added to the corresponding direct recruitment/promotion quota vacancies of the next year (and to subsequent years where necessary) for determining the total number of direct recruitment or promotion vacancies to filled up as per usual practice. For determining *inter-se* seniority between direct recruits and promotees, it would be done as per rotation of quota to the extent of number of vacancies for direct recruits and promotees, as determined according to the quota for that year and the additional direct recruits/promotees selected against the carried forward vacancies of the previous year, to be placed en-bloc below the last promotee/direct recruit, as the case may be, in the seniority list. All the existing instructions on seniority were consolidated by DoPT through a single O.M. No. 22011/7/86-Estt(D) dated 03.07.1986.

3. Subsequently, vide O.M. No. 20011/1/2006-Estt.(D) dated 3.3.2008, the term 'available' as provided in OMs dated 7.2.1986/3.7.1986 was sought to be clarified, wherein it was clarified that the actual year of appointment, both in the case of direct recruits and promotees, would be reckoned as the year of availability for the purpose of rotation and fixation of inter se seniority. This was, however, challenged before the Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 7514-7515/2005 in the case of N.R. Parmar v/s Union of India & Others. In its judgement dated 27.11.2012 in the said case, the Hon'ble Apex Court held that the available direct recruits and promotees, for assignment of *inter se* seniority, would refer to the direct recruits and promotees who are appointed against the vacancies of a particular recruitment year, where the recruitment year shall be the year in which the recruitment process for either of the modes of recruitment (direct recruitment or promotion) for a

Pradeep Kumar



particular vacancy year is initiated viz. initiation of recruitment process against a vacancy year would mean the date of sending of requisition for filling up of vacancies to the recruiting agency in the case of direct recruits or the date on which a proposal, complete in all respects, is sent to UPSC/Chairman-DPC for convening of DPC to fill up vacancies earmarked for promotion.

4. The law laid down in the N.R. Parmar case relating to determination of *inter se* seniority between direct recruits and promotees in a grade/post was reviewed by the Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 8833-8835 of 2019 [arising out of SLP(C) Nos.19565-19567 of 2019] in the matter of K. Meghachandra Singh & Ors. Vs Ningam Siro & Ors. In its Order dated 19.11.2019 in CA No. 8833-35/2019 of K. Meghachandra Singh & Ors. Vs Ningam Siro & Ors, the Hon'ble Supreme Court of India has overruled the decision of the Court in NR Parmar case.

5. In para 40 of the Order dated 19.11.2019, the Hon'ble Court *inter-alia* held that *"the law on the issue is correctly declared in J.C. Patnaik (Supra). Consequently, we disapprove the norms on assessment of inter-se seniority, suggested in N. R. Parmar (Supra). Accordingly, the decision in N.R. Parmar is overruled. However, it is made clear that this decision will not affect the inter-se seniority already based on N.R. Parmar and the same is protected. This decision will apply prospectively except where seniority is to be fixed under the relevant Rules from the date of vacancy/the date of advertisement."* Further, in para 38, the Hon'ble Court had held as under:

*"38. When we carefully read the judgment in N. R. Parmar (Supra), it appears to us that the referred OMs (dated 07.02.1986 and 03.07.1986) were not properly construed in the judgment. Contrary to the eventual finding, the said two OMs had made it clear that seniority of the direct recruits be declared only from the date of appointment and not from the date of initiation of recruitment process. But surprisingly, the judgment while referring to the illustration given in the OM in fact overlooks the effect of the said illustration. According to us, the illustration extracted in the N.R. Parmar (Supra) itself, makes it clear that the vacancies which were intended for direct recruitment in a particular year (1986) which were filled in the next year (1987) could be taken into consideration only in the subsequent year's seniority list but not in the seniority list of 1986. In fact, this was indicated in the two OMs dated 07.02.1986 and 03.07.1986 and that is why the Government issued the subsequent OM on 03.03.2008 by way of clarification of the two earlier OMs."*

6. The determination of *inter se* seniority of direct recruits and promotees, as laid down by the Hon'ble Supreme Court of India, in its Order dated 19.11.2019 in K. Meghachandra Singh case, has been carefully examined in consultation with the Department of Legal Affairs, and the following principles have emerged:-

- (i) The rotation of quota, based on the percentage of vacancies allocated to direct recruitment and promotion in the notified recruitment rules/service rules, shall continue to operate for determining vacancies to be filled by the respective quotas in a recruitment year. The term 'recruitment year' shall mean the year in which the vacancy arises. However, *inter se* seniority between direct recruits and promotees, who are appointed against the vacancies of respective quota, would be reckoned with reference to the year in which they are appointed i.e. year in which they are borne in the cadre or formal appointment order is issued.
- (ii) The terms 'recruitment' and 'appointment' have to be read harmoniously and the determination of seniority for recruits would depend on their actual appointment and

not the initiation of recruitment process itself. It thus follows that the seniority of direct recruits and promotees henceforth stands delinked from the vacancy/year of vacancy.

- (iii) The source of legitimacy of determination of seniority would be with reference to the date of joining of a person against a vacancy, irrespective of the fact that it may have arisen in the previous year(s) and not being a carried forward vacancy of any quota.
- (iv) If adequate number of direct recruits (or promotees) do not become available, "rotation of quotas" for the purpose of determining seniority, would stop after the available direct recruits and promotees are assigned their slots on joining in a particular year.
- (v) The term 'available', both in the case of direct recruits as well as promotees, for the purpose of rotation and fixation of seniority, shall be the actual year of appointment after declaration of results/selection and completion of pre-appointment formalities as prescribed.
- (vi) Thus, appointees who join in the concerned recruitment year and those who join in subsequent year(s), would figure in the seniority list of the respective years of their being appointed. To that extent it may not be necessary to go into the question of quota meant for direct recruits and promotees to find out as to the year in which the vacancy arose against which the recruitment is made.

7. Based on the above, it has been decided to modify the instructions relating to determination of *inter se* seniority between promotees and direct recruits as under:

- (i) DoPT's O.M. No. 20011/1/2012-Estt.(D) dated 4.3.2014, issued in pursuance of Order dated 27.11.2012 in N.R. Parmar case, is treated as non-est/withdrawn w.e.f. 19.11.2019.
- (ii) As the Order dated 19.11.2019 is prospective, cases of *inter se* seniority of direct recruits and promotees, already decided in terms of O.M. No. 20011/1/2012-Estt.(D) dated 4.3.2014, shall not be disturbed, i.e. old cases are not to be reopened.
- (iii) In case of direct recruits and promotees appointed/joined during the period between 27.11.2012 and 18.11.2019 and in which case *inter se* seniority could not be finalised by 18.11.2019, shall also be governed by the provisions of O.Ms. dated 7.2.1986/3.7.1986 read with OM dated 4.3.2014, unless where a different formulation/manner of determination of seniority has been decided by any Tribunal or Court.
- (iv) For cases where the recruitment process has been initiated by the administrative Department/Cadre Authority before 19.11.2019 and where some appointments have been made before 19.11.2019 and remaining on or after 19.11.2019, the *inter se* seniority of direct recruits and promotees, shall also be governed by the provisions of O.Ms. dated 7.2.1986/3.7.1986 read with OM dated 4.3.2014 to ensure equal treatment of such appointees.

Pradeep Kumar

- (v) For recruitments initiated on or after 19.11.2019 as well as for future recruitments, in addition to cases where the recruitment process has been initiated by the administrative Department/ Cadre Authority before 19.11.2019, but where all appointments, subsequent to the initiation of recruitment process, could be made only on or after 19.11.2019 i.e. date of order of Apex Court, the *inter se* seniority of direct recruits and promotes shall be determined in the following manner-
- (a) The rotation of quota based on the percentage of vacancies allocated to direct recruitment and promotion in the notified recruitment rules/service rules, shall continue to operate for determination of vacancies to be filled by the respective quotas in a recruitment year.
  - (b) Determination of inter-se seniority between direct recruits and promotees, who are appointed against the vacancies of respective quota, would, however, be reckoned with reference to the year in which they are appointed i.e. year in which they are borne in the cadre or formal appointment order is issued. In case, where the recruitment year is the same as the year of appointment, the appointees shall be given seniority of that year.
  - (c) Where in case of promotees or direct recruits, the year of appointment is the next year or any year subsequent to the recruitment year, the seniority of such promotees and direct recruits would be determined with reference to the year of their actual joining/appointment to the post, since they were not able to join in the said recruitment year in which the vacancy arose. Thus, they would get seniority of the year in which they actually join i.e. year in which formal appointment order is issued or they are borne in the service/cadre and that they shall not get seniority of any earlier year (viz. year of Vacancy/panel or year in which recruitment process is initiated).
  - (d) In terms of OMs dated 7.2.1986/3.7.1986, rotation between promotees and direct recruits for the purpose of determination of inter-se seniority, would be undertaken only to the extent of available direct recruits and promotees in a particular year. The term 'available direct recruits or promotees' appearing in these OMs dated 7.2.1986/3.7.1986, for the purpose of rotation of quota in fixation of inter-se seniority, shall mean the actual number of direct recruits and promotees appointed during the year after declaration of results/selection and completion of pre-appointment formalities as prescribed.
  - (e) As per (d) above, if adequate number of direct recruits (or promotees) do not become available in a particular year, the "rotation of quotas" for the purpose of determining inter-se seniority, would stop after the available direct recruits and promotes are assigned their slots on their appointment/joining in that year.
  - (f) If no direct recruit is available in a particular year, available promotees would be bunched together in accordance with their position in the panel approved for promotion. Similarly, if no promotee is available in that year, available direct recruits would be bunched together, as per their position obtained in the selection process.

Pradeep Kumar



(g) In case, where direct recruits or promotees, as the case may be, belonging to two more selections/panel approved for promotion, join in the same year, then those who have been appointed/joined as a result of earlier selection/panel would be placed senior in the seniority list to those been appointed/joined as a result of a subsequent selection/panel.

(h) Instructions contained in OMs dated 7.2.1986 and 3.7.1986, stand modified to the extent indicated in above paragraphs.

8. These provisions shall come into effect from 19.11.2019 onwards.

9. All Ministries/Departments are requested to bring these instructions to the notice of all concerned.

*Pradeep Kumar*

(Pradeep Kumar)

Under Secretary to the Govt of India

To

**All Ministries/Departments of the Government of India**

Copy to :-

1. President's Secretariat/Vice President's Secretariat/Prime Minister's Office/ Supreme Court/ Rajya Sabha Secretariat/ Lok Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat /UPSC/ CVC/ C&AG/ Central Administrative Tribunal (Principal Bench), New Delhi.
2. All attached/subordinate offices of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
3. Secretary, National Commission for Minorities.
4. Secretary, National Commission for Scheduled Castes/Scheduled Tribes.
5. Secretary, Staff Side, National Council (JCM), 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.
6. PS to MOS(PP) for information to Hon'ble MoS(PP).
7. All Staff Side Members of the National Council (JCM).
8. NIC [for uploading this OM on the website of DOPT (Seniority)].
9. Hindi Section, DoPT for Hindi Translation.

*Pradeep Kumar*

(Pradeep Kumar)

Under Secretary to the Government of India